B — कौशल एवं अवसर

उद्यम के लिए बैंक-नीत ऋण

यह संस्थान क्या है

यह एक संस्थान नहीं है — यह जिले की प्रत्येक बैंक शाखा में वितरित एक कार्य है। जब कोई युवा छोटा व्यवसाय आरंभ करना चाहता है, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के पास अनेक सरकार-समर्थित योजनाएँ हैं जो पूँजी उपलब्ध कराती हैं, विशेष रूप से प्रथम-पीढ़ी के उद्यमियों, अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों एवं महिलाओं को। तीन मुख्य योजनाएँ हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY — Micro Units Development & Refinance Agency), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), तथा स्टैंड-अप इंडिया। जिला स्तर पर, अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) सभी बैंकों को वित्तीय समावेशन लक्ष्यों पर समन्वित करते हैं। जिला सलाहकार समिति (DCC) ऋण प्रवाह की समीक्षा करती है।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आप एक व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं तथा ऋण की आवश्यकता है, तो आपको छोटी राशियों के लिए संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है। 50,000 रुपये तक के मुद्रा शिशु ऋण बिना गारंटर आवश्यकता के संपार्श्विक-मुक्त हैं। PMEGP आपको आपकी परियोजना लागत पर 15-35% सब्सिडी देता है। ये किसी भी बैंक शाखा में उपलब्ध हैं।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशानिर्देश	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण लक्ष्य अनिवार्य करते हैं
लीड बैंक योजना (1969; ढाँचा अंतिम बार 2009 में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं पर संशोधित)	प्राथमिकता-क्षेत्र ऋण एवं वित्तीय समावेशन के समन्वय के लिए प्रति जिला एक बैंक को लीड बैंक नामित किया जाता है
PMMY दिशानिर्देश	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) पुनर्वित्त के माध्यम से MUDRA ऋण
PMEGP संशोधित दिशानिर्देश, 2023	जिला उद्योग केंद्र (DIC) / खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) कार्यान्वित करता है; बैंक मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ ऋण स्वीकृत करता है
स्टैंड-अप इंडिया (मूल योजना अप्रैल 2016 में आरंभ, मार्च 2025 में समाप्त)	SC/ST एवं महिला उद्यमियों के लिए पुनरुद्धरित योजना की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा 16 मार्च 2026 को की गई; लेखन के समय दिशानिर्देश प्रतीक्षित
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)	MSMEs (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों) के लिए 10 करोड़ रुपये तक संपार्श्विक-मुक्त ऋण गारंटी; स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपये तक

- **केंद्र:** RBI (प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य, लीड बैंक योजना) → SIDBI/MUDRA (पुनर्वित्त)
- **राज्य:** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) — राज्य के लीड बैंक द्वारा संचालित; सदस्यों में राज्य में संचालित सभी बैंक, RBI, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राज्य सरकारी विभाग सम्मिलित हैं; प्राथमिकता-क्षेत्र ऋण, PMMY, PMEGP, स्टैंड-अप इंडिया, तथा वित्तीय-समावेशन लक्ष्यों की समीक्षा हेतु त्रैमासिक बैठक करती है
- **जिला:** अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) → जिला सलाहकार समिति (DCC) (जिला कलेक्टर अध्यक्ष के रूप में; LDM संयोजक के रूप में; RBI के अग्रणी जिला अधिकारी (LDO); NABARD; जिले में संचालित सभी वाणिज्यिक बैंक, जिनमें लघु वित्त बैंक (SFBs), विदेशी बैंकों की पूर्ण-स्वामित्व सहायक कंपनियाँ (WOS), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), भुगतान बैंक, तथा राज्य/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सम्मिलित हैं; राज्य सरकारी विभाग एवं संबद्ध एजेंसियाँ; त्रैमासिक बैठक) → जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) (लीड बैंक योजना कार्यान्वयन की गति एवं गुणवत्ता की समीक्षा करती है; जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में; LDM द्वारा संचालित; DCC सदस्य भाग लेते हैं; स्थानीय सांसद (MPs), विधायक (MLAs) तथा ज़िला परिषद अध्यक्ष अनिवार्यतः आमंत्रित किए जाते हैं; त्रैमासिक) → खंड स्तरीय बैंकर्स समिति (BLBC) (खंड स्तर पर; LDM अध्यक्ष के रूप में; सदस्यों में खंड में संचालित सभी बैंक, खंड विकास अधिकारी (BDO), तथा कृषि, उद्योग एवं सहकारिता हेतु तकनीकी/विस्तार अधिकारी सम्मिलित हैं; NABARD के जिला विकास प्रबंधक (DDM) भाग लेते हैं)
- **शाखा:** शाखा प्रबंधक (ऋण निर्णय)
- **कार्यात्मक निरीक्षण भूमिकाएँ:** SLBC / RBI दिशानिर्देशों के अनुसार खंड स्तर पर वित्तीय साक्षरता केंद्र (FLC) पर वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता; शाखा स्तर पर बैंकिंग संवाददाता (BC) पर्यवेक्षक
- **PMEGP मार्ग:** KVIC → राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB) / DIC → जिला कार्यबल → बैंक शाखा

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM)	जिले में सभी बैंकिंग गतिविधि के लिए समन्वय बिंदु; ऋण लक्ष्यों की निगरानी, DCC संचालित करते हैं
शाखा प्रबंधक	ऋण निर्णयकर्ता; उच्च अनुमोदन के बिना मुद्रा शिशु स्वीकृत करते हैं
KVIC/KVIB जिला अधिकारी	PMEGP कार्यान्वित करते हैं; आवेदन प्राप्त करते हैं, बैंकों को अग्रेषित करते हैं
DIC महाप्रबंधक	PMEGP आवेदनों को सुगम बनाते हैं, उद्यम अनुशंसाएँ प्रदान करते हैं

अनिवार्य सेवाएँ

- चार श्रेणियों में MUDRA ऋण — शिशु (50,000 रुपये तक), किशोर (50,000 रुपये – 5 लाख रुपये), तरुण (5–10 लाख रुपये), तरुण प्लस (10–20 लाख रुपये, उन उधारकर्ताओं के लिए जिन्होंने तरुण ऋण को सफलतापूर्वक चुकाया है); सभी चार श्रेणियाँ संपार्श्विक-मुक्त हैं; अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, RRBs, SFBs, NBFCs तथा MFIs के माध्यम से उपलब्ध
- नए उद्यमों के लिए PMEGP ऋण: विनिर्माण के लिए 50 लाख रुपये / सेवाओं के लिए 20 लाख रुपये तक, 15-35% मार्जिन मनी सब्सिडी सहित; पात्रता: आयु 18+, बड़ी परियोजनाओं के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) ऋण पर RBI मास्टर निदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSE) इकाइयों को 20 लाख रुपये तक के ऋणों पर बैंकों से संपार्श्विक लेने पर रोक लगाता है, तथा वही 20 लाख रुपये की संपार्श्विक-मुक्त सीमा KVIC के माध्यम से वित्त-पोषित PMEGP इकाइयों तक विस्तारित करता है
- स्टैंड-अप इंडिया (मूल योजना अप्रैल 2016 में आरंभ, मार्च 2025 में समाप्त; SC/ST एवं महिला उद्यमियों के लिए पुनरुद्धरित योजना की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा 16 मार्च 2026 को की गई, लेखन के समय दिशानिर्देश प्रतीक्षित)
- पीएम-स्वनिधि (PM-SVANidhi) (2020 में आरंभ; 27 अगस्त 2025 को कैबिनेट द्वारा पुनर्संरचित; 31 मार्च 2030 तक विस्तारित) — पथ विक्रेताओं को 15,000 रुपये, 25,000 रुपये तथा 50,000 रुपये की तीन किस्तों में संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूँजी ऋण; जिन विक्रेताओं ने दूसरा ऋण चुकाया है, वे UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र बनते हैं (सीमा परिचालन MoHUA योजना दिशानिर्देश के अनुसार)
- CGTMSE: ऋण गारंटी जो संपार्श्विक-मुक्त MSE ऋणों पर डिफ़ॉल्ट के लिए बैंकों की क्षतिपूर्ति करती है, प्रति उधारकर्ता 10 करोड़ रुपये तक के निधि एवं गैर-निधि ऋण सुविधाओं को कवर करती है (सामान्य जोखिम-कवर डिफ़ॉल्ट का 75% तक); 20 लाख रुपये तक के MSE ऋणों पर संपार्श्विक की रोक लगाने वाला पूरक RBI नियम ही इस गारंटी की आवश्यकता उत्पन्न करता है

संबंधित योजनाएँ

- **MUDRA (PMMY)** — 4 श्रेणियों में 20 लाख रुपये तक के सूक्ष्म-उद्यम ऋण
- **PMEGP** — नए उद्यमों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी (15-35%) तथा बैंक ऋण
- **स्टैंड-अप इंडिया** — SC/ST एवं महिला उद्यमियों के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण
- **CGTMSE** — MSMEs के लिए 10 करोड़ रुपये तक संपार्श्विक-मुक्त ऋण गारंटी
- **पीएम विश्वकर्मा (PM Vishwakarma)** — 18 व्यवसायों में पारंपरिक कारीगरों के लिए ऋण एवं प्रशिक्षण
- **पीएम-स्वनिधि (PM-SVANidhi)** — पथ विक्रेताओं के लिए संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूँजी ऋण (₹15K / ₹25K / ₹50K किस्तें; दूसरी-किस्त चुकौती पर UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड)
- **DAY-NRLM (स्व-सहायता समूह (SHG) बैंक लिंकेज)** — समूह उद्यमों के लिए SHG ऋण

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: MUDRA योजना दिशानिर्देशों के लिए mudra.org.in; PMEGP आवेदन ट्रैकिंग के लिए kviconline.gov.in

यह भी: किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा में जाएँ तथा MUDRA ऋणों के बारे में पूछें; PMEGP आवेदनों के लिए DIC जाएँ; "[आपका जिला] Lead District Manager" खोज कर LDM ढूँढ़ें

प्रमुख सुविधाएँ

बैंक शाखाएँ अवसंरचना हैं। जिला स्तर पर जो मायने रखता है वह है शाखा घनत्व, क्या ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाएँ उद्यम ऋण संसाधित करती हैं, तथा क्या LDM कार्यालय में एक क्रियाशील ऋण परामर्श सुविधा है।

एक क्रियाशील बैंक ऋण प्रणाली कैसी दिखती है

- बैंक शाखाएँ संपार्श्विक अथवा गारंटर की माँग किए बिना MUDRA शिशु आवेदन फ़ॉर्म प्रदान करती हैं
- PMEGP आवेदन पाइपलाइन में आगे बढ़ रहे हैं: प्रस्तुत, कार्यबल द्वारा स्वीकृत, वितरित
- जिले में स्टैंड-अप इंडिया ऋण वितरित किए गए हैं (अनिवार्यता: प्रति शाखा कम-से-कम 2)
- प्रशिक्षण पूरा करने वाले ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) स्नातकों को ऋण लिंकेज ऋण प्राप्त हुए हैं
- जिले में आवधिक रूप से ऋण मेले अथवा ऋण शिविर आयोजित होते हैं
- LDM शाखा अनुसार जिला-स्तर का MUDRA वितरण डेटा साझा कर सकते हैं

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु शाखा प्रबंधक होते हैं। MUDRA, PMEGP अथवा स्टैंड-अप इंडिया अस्वीकृति के लिए, पावती सहित लिखित शिकायत पहला कदम है।

सेवा के बाद। शिकायत बैंक के आंचलिक कार्यालय (ग्राहक सेवा प्रकोष्ठ) तथा अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) तक बढ़ाई जाती है। जिला सलाहकार समिति (DCC) औपचारिक बैंक-समन्वय समीक्षा मंच है; अनसुलझे मामले SLBC के माध्यम से उठाए जा सकते हैं। LDM जिले के विभिन्न स्थानों पर RBI के LDO तथा स्थानीय बैंकों के समन्वय में त्रैमासिक सार्वजनिक बैठकें भी आयोजित करते हैं, ताकि जागरूकता उत्पन्न की जा सके, सार्वजनिक फीडबैक लिया जा सके तथा व्यक्तिगत शिकायतों का समाधान किया जा सके।

बाहरी। cms.rbi.org.in पर RBI Integrated Ombudsman Scheme प्रत्येक अनुसूचित बैंक को कवर करती है — जिसमें MUDRA, PMEGP तथा स्टैंड-अप इंडिया ऋण विवाद, ग्राहक-सेवा विफलताएँ तथा अनुचित शुल्क प्रथाएँ सम्मिलित हैं। 16 जनवरी 2026 को जारी Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS) 2026, 1 जुलाई 2026 से प्रभावी रूप से 2021 की योजना का स्थान लेती है। MUDRA शिकायतें mudra.org.in के माध्यम से जाती हैं। PMEGP-विशिष्ट शिकायतें kviconline.gov.in पर KVIC तक जाती हैं। PSL-लक्ष्य गैर-अनुपालन के लिए, SLBC तथा RBI का क्षेत्रीय कार्यालय संचालन करते हैं। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) (pgportal.gov.in) केंद्रीय-मंत्रालय शिकायत बढ़ाने को कवर करती है।

—-